

प्रसारण:— अपराह्न 02:00 बजे से।

अवधि — 05 मिनट

विधानसभा में आज प्रश्नोत्तकाल की कार्यवाही सुचारु रूप से चली। जदयू के मंजीत कुमार सिंह के पूरक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि आवंटन को लेकर सरकार स्टेट नोडल अकाउंट नहीं बना सकी है। इसके चलते लगभग बारह लाख लाभार्थियों की राशि रूकी हुई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र से इकतीस मार्च तक का समय मांगा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्नेहलता के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि जीविका दीदियों को पहचान पत्र निर्गत करने के लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा। इधर, विधान परिषद में भी आज कार्यवाही सुचारु रूप से चली। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भूमि सुधार जनसंवाद में अबतक छियालीस लाख आवेदन मिले हैं। इसमें चालीस लाख में नाम, पता और खाता संबंधित गड़बड़ियां पाई गयी हैं। उन्होंने कहा कि विवादित मामलों को राजस्व न्यायालय देखेगा, लेकिन जिन मामलों में विभागीय स्तर पर सुधार हो सकता है उसमें कार्रवाई की जा रही है। इधर आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने विधानमंडल परिसर में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे।

लोकसभा सचिवालय ने विपक्षी सांसदों के अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग वाले अविश्वास प्रस्ताव नोटिस में कुछ कमियां पाई हैं। लोकसभा सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष ओम बिरला ने सचिवालय को नोटिस में मौजूद कमियों को दूर करने और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आगे कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने नियमों के अनुसार मामले में त्वरित कार्रवाई का भी आदेश दिया है। सूत्रों ने बताया कि बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद नोटिस को सूचीबद्ध किया जाएगा। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राजद और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों के एक सौ अठारह सदस्यों ने महासचिव को सौंपे गए नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि,

तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस बीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नैतिक आधार पर यह निर्णय लिया है कि जब तक विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे।

---

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद उपेन्द्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार से बिहार में धान अधिप्राप्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को भेजे पत्र में श्री कुशवाहा ने फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।

---

पटना व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस ने सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी है। पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा कर तलाशी अभियान चलाया गया। कहीं से कोई विस्फोटक नहीं मिला है। गौरतलब है कि अपराधियों ने ई-मेल के जरिये एक बार फिर परिसर में बम विस्फोट की धमकी दी है।

---

पटना के गायघाट इलाके में एसटीएफ और कुख्यात अपराधी राजीव कुमार के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोलीबारी में अपराधी को पैर में गोली लगी है। कुख्यात राजीव कुमार पच्चीस हजार रुपये का ईनामी था और उस पर बीस से अधिक मामले दर्ज हैं।

---

सीवान पुलिस ने एक व्यापारी से दस लाख रुपये रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी के आरोप में दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किये गये हैं।

---

मुजफ्फरपुर जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने मनियारी थाना के सब-इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

---

बेगूसराय के बलिया अनुमंडलीय व्यावहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी दीपक कुमार को अलग-अलग धाराओं में तीन साल की सजा सुनाई है।

---

इसके साथ ही आकाशवाणी, पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।